

संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो. अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी. अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी.

- ix. केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई.
- x. आयु सीमा में छूट के तहत, यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक छूट के आधार हैं, तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ के साथ छूट मिलेगी.
- xi. संविदा पर कार्यरत अन्य मानद कर्मचारियों या स्वैच्छिक कर्मचारियों जैसे कि "शिक्षाकर्मी" 'पंचायत कर्मी' आदि कर्मचारियों को आयु में छूट की सुविधा नहीं मिलेगी.
- xii. किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी. उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, शारीरिक दक्षता परीक्षण में दस्तावेज सत्यापन के समय पेश करना होगा.

(8) परीक्षा योजना :-

- a. प्रथम चरण लिखित परीक्षा- हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न(MCQ):
- b. द्वितीय चरण परीक्षा योजना :-
 - क. शारीरिक दक्षता परीक्षण

(9) प्रथम चरण परीक्षा योजना :-

आरक्षक (जीडी)

i. प्रथम चरण लिखित परीक्षा- हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ):

क. अवधि -2 घंटे, 100 प्रश्न

ख. अंक योजना

(1) अधिकतम 100 अंक

(2) सही उत्तर के लिये +1 अंक दिए जाएंगे .

(3) जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत हैं, उनके लिये कोई अंक नहीं काटा जाएगा.

ग. प्रश्नों के प्रकार - वस्तुनिष्ठ (MCQ)

(1) 40 अंक - सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान.

(2) 30 अंक - बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि.

(3) 30 अंक- विज्ञान एवं सरल अंक गणित.

घ. वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध सात गुना अभ्यर्थियों को कट-ऑफ अंकों अनुसार आरक्षक (जीडी) पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा। "विशेष सशस्त्र बल एवं विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर" के लिए एक ही कट-ऑफ अंकों का निर्धारण होगा।

ङ. होरीजॉटल श्रेणियों के लिए पृथक से कट-ऑफ अंकों का निर्धारण नहीं किया जाएगा.

(10) द्वितीय चरण परीक्षा योजना :-

आरक्षक (जीडी) के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए, प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे।

(11) शारीरिक दक्षता परीक्षण-

i. शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन और मूल्यांकन एक चयन समिति जैसी कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाए, के पर्यवेक्षण में किया जाएगा.

- ii. अंकों का वितरण अनुसूची एक अनुसार रहेगा.
- iii. प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट-ऑफ अंकों के आधार पर, वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध, सात गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा. प्रथम चरण की परीक्षा में कट-ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की सात गुना से अधिक हो.
- iv. शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा.
- v. आरक्षक (जीडी) संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिये, शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक (100 में से 30 अंक) लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिये, प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएँगे।
- vi. शारीरिक दक्षता परीक्षण में अंकों का वितरण अनुसूची एक अनुसार रहेगा ।
- vii. प्रथम चरण में वर्टिकल आरक्षण के सात गुना अभ्यर्थी जहां खत्म हो रहे हैं, वही कट-ऑफ अंक, न्यूनतम अर्ह अंक होगा जो कि डायनेमिक रहेगा और परीक्षा से पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता है।

(12) शारीरिक मापदंड परीक्षण :-

- i. केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए (विसबल नियम 1973 के नियम 21 एवं 22 अनुसार) -

क्र.	आरक्षक पदों के लिए	वर्ग	ऊंचाई	सीना (केवल पुरुषों के लिए)	
				बिना फुलाव	फुलाव सहित
1	क. अनारक्षित ख. अन्य पिछड़ा वर्ग	पुरुष	168 सें.मी.	79 सें.मी.	84 सें.मी.
2	क. गोरखा ख. गढ़वाली ग. कुमाऊं के मामले मे	पुरुष	157 सें.मी.	79 सें.मी.	84 सें.मी.
3	क. मराठा ख. अनुसूचित जाति ग. अनुसूचित जनजाति	पुरुष	165 सें.मी.	79 सें.मी.	84 सें.मी.

- ii. "विशेष सशस्त्र बल" छोड़कर अन्य संवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए -

क्र.	संवर्ग	वर्ग	ऊंचाई	सीना (केवल पुरुषों के लिए)	
				बिना फुलाव	फुलाव सहित
1	आरक्षक अन्य सभी संवर्ग क. अनारक्षित ख. अनुसूचित जाति ग. अन्य पिछड़ा वर्ग	पुरुष	168 से.मी.	81 सें.मी.	86 सें.मी.
		महिला	155 से.मी.	लागू नहीं	

क्र.	संवर्ग	वर्ग	ऊंचाई	सीना (केवल पुरुषों के लिए)	
				बिना फुलाव	फुलाव सहित
2	आरक्षक अन्य सभी संवर्ग - अनुसूचित जनजाति	पुरुष	160 से.मी.	76 सें.मी.	81 सें.मी.
		महिला	155 से.मी.	लागू नहीं	

- iii. जहाँ भी लागू हो, यदि सीने का माप न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक है, तो उसे कम से कम 5 सें.मी. फुलाना अनिवार्य होगा।
- iv. शारीरिक मापदण्डों में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जाएगी.

(13) स्वास्थ्य मापदण्डों का निम्नलिखित परीक्षण जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा:

- i. कद का माप
- ii. सीने का फुलाव (केवल पुरुषों के लिए)
- iii. दृष्टि: अभ्यर्थियों को कोई नेत्र रोग/विकार नहीं होना चाहिए और बिना चश्मों के दृष्टि की तीव्रता 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मों के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए. अभ्यर्थियों को मुख्य रंगों में अंतर करने से सक्षम होना चाहिए जिसका इशियारा प्लेटों के माध्यम से परीक्षण किया गया हो.
- iv. नॉक-नी तथा फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए.
- v. अभ्यर्थी का शरीर किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल परीक्षण के संबंध में जिला, संभाग एवं राज्य मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराये जाने का क्रम निर्धारित है. स्वास्थ्य परीक्षण में पुलिस सेवा हेतु अयोग्य घोषित किये जाने पर अभ्यर्थी यदि असंतुष्ट रहता है, तो वह संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड से अपील का आवेदन दे सकेगा, जिस पर उसका संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा. जिला एवं संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड के अभिमत में भिन्नता होने पर विभाग राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से पुनः परीक्षण करायेगा। प्रत्येक स्तर पर अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के समय आवश्यक रूप से एक नामांकित राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेगा. स्वास्थ्य परीक्षण की वीडियोग्राफी कराई जाएगी.

(14) आरक्षण:-

- i. श्रेणियाँ : सीधी भर्ती के लिए आरक्षण के लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 का पालन करते हुए, विज्ञापित कुल पदों की आरक्षण अनुसार पदवार तालिका निम्नानुसार है, आरक्षण को वर्टिकल (लंबवत) श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे-अनुसूचित जाति(एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग. प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी को आगे हॉरीजोन्टल (क्षैतिज) श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे- महिला और भूतपूर्व सैनिक श्रेणियां:

श्रेणियां	UR	OBC	SC	ST	EWS
ओपन	UO	BO	CO	TO	EO
भूतपूर्व सैनिक (10%)	UX	BX	CX	TX	EX
होमगार्ड [@] (15 %)	UG	BG	CG	TG	EG
महिला *(35%)	UF	BF	CF	TF	EF
योग	UT	BT	CT	TT	ET
आरक्षण [§] (%)	27	27	16	20	10

केवल उन्हीं पदों की गणना की जाएगी, जिन पर महिलाओं को लिया जा सकता है।

@ केवल आरक्षक के पद के लिये विचार किया जायेगा।

§ विज्ञापन जारी करते समय शासकीय आदेश के अनुसार होगा.

* महिला UF सभी वर्टिकल आरक्षित श्रेणियों के समायोजन किए हुए होगा जैसा कि ओपन UO अथवा होमगार्ड UG में लागू होगा.

- ii. गृह (पुलिस) विभाग द्वारा म.प्र. शासन के ज्ञापन क्रमांक 556/128/96/ब-2/दो, दिनांक 31 जनवरी 1996, के अधीन पुलिस आरक्षक की भर्ती में होमगार्डों का 15 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है, जिसका पालन किया जाएगा। यह आरक्षण केवल आरक्षक (जीडी) संवर्ग भर्ती में लागू है, शेष में नहीं, इसे संबंधित वर्टिकल श्रेणियों की होरीजॉन्टल श्रेणी में विभाजित किया जाएगा।
- iii. सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) म.प्र. शासन का 21 अप्रैल 1999 का असाधारण राजपत्र आदेश के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी शासकीय सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण का पालन किया जाएगा. इसे सम्बंधित वर्टिकल श्रेणियों की होरीजॉन्टल श्रेणी में विभाजित किया जाएगा.
- iv. महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के राजपत्र (असाधारण) क्र. सी-3-8-2015-एक-3, भोपाल दिनांक 03 अक्टूबर 2023 का पालन किया जाएगा. इसे सम्बंधित वर्टिकल श्रेणियों की होरीजॉन्टल श्रेणी में विभाजित किया जाएगा.
- v. गृह (पुलिस) विभाग, म.प्र. शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ 2(अ) 541/92-बी-4-दो भोपाल दिनांक 04.04.1995 द्वारा पुलिस विभाग को निःशक्तजनों के लिए आरक्षण से छूट दी गयी है.
- vi. सभी आरक्षण और आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश के अधिवास के संदर्भ में हैं. अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित अर्हताओं के अधीन पात्र होंगे.
- vii. आरक्षण के आधार पर चयन का आधार माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों पर आधारित है-
 - क. इन्द्रा साहनी विरुद्ध भारत संघ (संदर्भ:- 1992 SUPP(3) SCC-217)
 - ख. अनिल कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य) संदर्भ :1995 (2) SUPP, SCR - 396- 1995(5) SCC-173
 - ग. रमेश राम विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य (सिविल अपील क्र. 4310-4311 OF 2010)

- घ. राजेश कुमार डारिया विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग (संदर्भ:- अपील (सिविल) 3132/2007)
- ड. सत्य प्रकाश विरुद्ध भारत संघ (संदर्भ:- अपील (सिविल) 5505-5507/2003)
- च. दीपा ई वी बनाम भारत संघ [सिविल अपील न. 3609/2017]
- छ. सौरव यादव बनाम उ.प्र. राज्य [विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्र. 23223/2018].
- viii. शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे. अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- ix. **अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी:-** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य श्रेणी एक वर्ग नहीं हैं, यह खुली प्रतियोगिता श्रेणी है और सभी उम्मीदवार-जिन्होंने आयु या शिक्षा में कोई छूट नहीं ली है, वे अपने उच्च अंकों के आधार पर अनारक्षित (UR) श्रेणी में स्थान पाने के पात्र हैं, भले ही किसी आरक्षित श्रेणी विशेष के अधीन उन्होंने आवेदन किया हो,
- x. **अनारक्षित हॉरीजोन्टल श्रेणी:-**
- क. अनारक्षित महिला सभी हॉरीजोन्टल श्रेणियों यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला का समायोजन किए हुए होगी, जैसे कि अनारक्षित पुरुषों के लिए लागू है.
- ख. अनारक्षित होमगार्ड सभी हॉरीजोन्टल श्रेणियों यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुलिस अभ्यर्थियों का समायोजन किए हुए होगी जैसे कि अनारक्षित पुरुषों के लिए लागू है.
- ग. अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक सभी हॉरीजोन्टल श्रेणियों यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का समायोजन किए हुए होगी जैसे कि अनारक्षित पुरुषों के लिए लागू है.
- xi. **आरक्षित वर्टिकल श्रेणी:-**
- क. किसी भी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी यथा OBC/ST/SC/EWS, के अभ्यर्थी जिनके अंक अनारक्षित वर्टिकल (UR) श्रेणी के कट-ऑफ अंक से कम नहीं हैं परंतु उन्होंने उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता में छूट का लाभ लिया है तो उनकी गणना केवल आरक्षित श्रेणी में ही होगी.
- ख. किसी भी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी यथा OBC/ST/SC/EWS, के अभ्यर्थी जिसके अंक अनारक्षित वर्टिकल (UR) श्रेणी के कट-ऑफ अंक से कम नहीं हैं परंतु जिन्हें कि अपनी उच्च वरीयता का विकल्प सेवा संवर्ग विशेष- जीडी, रेल, विशेष सशस्त्र बल, विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो आदि. केवल उनकी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी में ही प्राप्त हो रहा है, अनारक्षित अभ्यर्थी की तरह विचार करने पर नहीं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित श्रेणी के स्थान पर आरक्षित श्रेणी में की जाएगी.
- xii. **आरक्षित हॉरीजोन्टल श्रेणी:-** प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी के भीतर हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणियाँ हैं, जैसे- महिलाएं या भूतपूर्व सैनिक इसके लिए, केवल उन्हीं योग्य अभ्यर्थियों पर चयन हेतु विचार किया जा सकता है जिन्होंने कि प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक पाए हों जो कि उनकी अपनी-अपनी वर्टिकल श्रेणी यथा UR/OBC/ST/SC/EWS के कट-ऑफ अंक ही हो सकते हैं। प्रथम चरण में हॉरीजोन्टल आरक्षित श्रेणियों के लिए पृथक से कट-ऑफ अंक निर्धारित नहीं किए जाएंगे।

- क. भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित वर्टिकल श्रेणी में "ओपन प्रकोष्ठ" अभ्यर्थी के रूप में नहीं चुना जा सकता है, क्योंकि उनको शारीरिक दक्षता परीक्षण में पृथक एवं शिथिल मानकों के आधार पर अंक अभिप्राप्त होंगे।
- ख. महिलाओं/होमगार्ड या भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए हॉरीजोन्टल आरक्षित पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में इस प्रकार शेष रहे पदों को उस वर्टिकल श्रेणी के ओपन प्रकोष्ठ के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
- ग. होमगार्ड हॉरीजोन्टल आरक्षित श्रेणी:- स्वयंसेवी होमगार्ड नगर सैनिकों के लिये आरक्षक पद पर 15 प्रतिशत "ओवरऑल हॉरीजोन्टल आरक्षण" लागू है, शासन के आदेश क्र./3789/1537/89/बी/3/2/ दिनांक 29.06.1989 के संदर्भ में एवं पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक/पुमु/2/चयन/स-3/314/04 दिनांक 14.10.2004 के द्वारा यथा निर्देशित होमगार्ड को केवल आरक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा से छूट दी गई है, इसलिए होमगार्ड के रूप में पाँच वर्ष तक सेवा पूर्ण करने पर 5 अंक, पाँच से अधिक एवं दस वर्ष तक सेवा पूर्ण करने पर 10 अंक तथा दस वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने पर 15 अंक निर्धारित करते हुए, प्राप्तांकों के घटते क्रम के आधार पर तैयार योग्यता सूची में से, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के सात गुना होमगार्ड अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जायेगा। होमगार्ड सैनिकों का आरक्षक पद के लिए अंतिम चयन निम्न अंको के योग के आधार पर होगा:-
- 1) उनके लिए निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण मापदंडों के आधार पर प्राप्तांक एवं,
 - 2) उनकी सेवा अवधि के आधार पर प्राप्तांक एवं,
 - 3) एक से अधिक होमगार्ड की सेवा अवधि और शारीरिक दक्षता परीक्षण के आधार पर प्राप्तांक यदि समान हैं, तो अधिक कुल सेवा और उसके भी समान होने पर अधिक आयु के होमगार्ड अभ्यर्थी को कम आयु के होमगार्ड से योग्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा।
- xiii. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यूएस) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है एवं संशोधन आदेश एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019 के अनुसार प्रारूप-7 संलग्न।
- xiv. परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा।

(15) चयन :-

चयन सूची से सेवा में नियुक्ति-

- i. शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को चयन की पात्रता होगी। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के परीक्षण में यदि अयोग्य पाया जाता है, तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, भले ही वह द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल रहा हो।
- ii. भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा एवं जहाँ लागू हो वहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षण में कुल प्राप्तांकों के योग के आधार पर सफल हुये, उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी, परन्तु केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों।

- iii. सर्वप्रथम प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस.) के वे महिला एवं पुरुष उम्मीदवार भी शामिल होंगे, जो किसी भी छूट के बिना (शुल्क की छूट के अतिरिक्त) चाहे वो उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा या शारीरिक माप या दक्षता परीक्षण हो, अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ अंक से अधिक अंक पाता है और उसे उसकी उच्चतम माप या दक्षता परीक्षण हो, अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ अंक से अधिक अंक पाता है और उसे उसकी उच्चतम प्राथमिकता का संवर्ग/पद अनारक्षित श्रेणी मिल रहा है। आरक्षक सामान्य ड्यूटी - विशेष सशस्त्र बल के लिए महिला अभ्यर्थियों को विचारण में नहीं लिया जायेगा।
- iv. यह सूची बनाने के बाद अनारक्षित महिलाओं एवं अनारक्षित भूतपूर्व सैनिकों के लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा। अनारक्षित महिलाओं एवं अनारक्षित भूतपूर्व सैनिकों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। त्रुटि रहित प्रावीण्य सूची में अनारक्षित महिलाओं एवं अनारक्षित भूतपूर्व सैनिकों की हॉरीजोन्टल श्रेणी के कट-ऑफ अंक किसी भी आरक्षित श्रेणी की महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों से सदैव अधिक होंगे। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे, बल्कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की दशा में उतने पद अनारक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। चयन सूची में यदि पहले से अनारक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों में 35 प्रतिशत महिला, 15 प्रतिशत होमगार्ड सैनिक एवं 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे, तो पृथक से और आरक्षण नहीं दिया जायेगा।
- v. शेष उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. के उम्मीदवारों की उनकी अपनी-अपनी वर्टिकल आरक्षित श्रेणी के लिये विज्ञापित पदों के लिये पृथक-पृथक सूचियां बनाई जायेगी।
- vi. ये सूचियां बनाने के बाद संबंधित आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. में महिलाओं, होमगार्ड सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए हॉरीजोन्टल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे, बल्कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की दशा में उतने पद संबंधित आरक्षित श्रेणी के शेष रहे ओपन अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। चयन सूची में यदि पहले से संबंधित आरक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों में 35 प्रतिशत महिला, 15 प्रतिशत होमगार्ड सैनिक एवं 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे, तो पृथक से और आरक्षण नहीं दिया जायेगा।
- vii. समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह वरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी। अर्थात् समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा।

(16) प्रतीक्षा सूची:- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र-सी-3-9/2016/1-3 दिनांक 10.10.2016 अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या के 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जायेगी, जो कि परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी। रिक्त रहे पदों की पूर्ति इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी।

(17) प्रमाण पत्रों की जांच :-

- i. द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न शारीरिक दक्षता परीक्षण केन्द्रों में शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद सम्पन्न की जावेगी.
- ii. आवेदक अपने साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज (डाक्यूमेंट) और उनकी प्रतियाँ लेकर आएँगे एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे:-
 - क. जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्मतिथि लिखी हो,
 - ख. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,
 - ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैरक्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में, मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय, प्रमाण पत्र क्रमांक एवं जारी दिनांक इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये, प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,
 - घ. स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये नगर सेना की कम से कम तीन वर्ष की सेवा काल पूर्ण करने का प्रमाण पत्र,
 - ङ. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, सेना की सेवा का प्रमाण पत्र,
 - च. पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,
 - छ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दम्पति में से उच्च जाति के पति/पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, पुरस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
 - ज. "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट "विक्रम पुरस्कार" हेतु पुरस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
 - झ. विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,
 - ञ. नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये,
 - ट. यात्रा किराया के भुगतान चाहने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी साथ में लेकर आएँ और प्रस्तुत करें.
- iii. दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे. अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा. इस नियम पुस्तिका में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा.
- iv. आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है. अतः प्रथम चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों का प्रवेश तथा प्रथम चरण की परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा.

(18) यात्रा किराया: -

लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण आदि में सम्मिलित होने पर केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जायेगा। यात्रा टिकट प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी के पते के जिले में जाने वाली ट्रेन या बस का किराया, जो भी न्यूनतम हो, का भुगतान किया जाएगा। यह किराया शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है की यात्रा किराया के भुगतान चाहने वाले अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी साथ में लेकर आएँ।

(19) अंतिम चयन :

- i. आरक्षक (जीडी) संवर्ग के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अर्ह अंक लाने पर प्रथम चरण लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंको के योग के आधार पर, अंतिम चयन होगा।
- ii. शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को चयन की पात्रता होगी। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के परीक्षण में यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा भले ही वह प्रथम चरण की परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल रहा हो।
- iii. भर्ती परीक्षा में कुल प्राप्तांको के योग के आधार पर सफल हुये उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस.) के वे उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो किसी भी छूट के बिना (शुल्क की छूट के अतिरिक्त) चाहे वो उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षण हो, अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ अंक से अधिक अंक पाता है और उसे उसकी उच्चतम प्राथमिकता का संवर्ग/पद अनारक्षित श्रेणी मिल रहा है। शेष उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. के उम्मीदवारों की उनकी अपनी-अपनी वर्टिकल श्रेणी के लिए विज्ञापित पदों के लिए पृथक-पृथक सूचियाँ बनाई जायेंगी।
- iv. ये सूचियाँ बनाने के बाद होमगार्ड, महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये हॉरीजोण्टल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा।
- v. समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह वरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी। अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा।
- vi. विभिन्न संवर्ग/पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को उनके मेरिट क्रम में उनके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय, दर्शाए गए गृह ज़िले को ध्यान में रखते हुए उन संवर्ग/पद की इकाइयों का आवंटन चयन एवं भर्ती शाखा, पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

(20) चरित्र सत्यापन :-

- i. कोई अभ्यर्थी चरित्र सत्यापन प्रपत्र में यदि कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाता है या कोई गलत जानकारी देता है, तो उसे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। सेवा में नियुक्ति के बाद इस संबंध में यदि यह तथ्य पता चलता है तो उसे कोई अन्य नोटिस दिये बिना उसे, सेवा से हटा दिया जाएगा। प्रतिकूल चरित्र सत्यापन के मामले में, नियुक्ति के लिए या

सेवा में बने रहने का अभ्यर्थी का कोई अधिकार नहीं होगा और ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची से हटा दिए जाएंगे।

- ii. गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ-17-01/2017/दो/सी-2 दिनांक 24 जुलाई 2018 के आधार पर चरित्र सत्यापन किया जाएगा।
- iii. चरित्र सत्यापन के लिए चयन के मामले में मार्गदर्शन सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेहर सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस-विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्र. 38886/2012, में निर्धारित मापदण्ड अनुसार होंगे।

(21) नियुक्ति :-

- i. नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।
- ii. अभ्यर्थियों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चरित्र सत्यापन, चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी। अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता अनुसार उन्हें पद-संवर्ग एवं पदों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार इकाई आवंटित की जाएगी।
- iii. अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता अनुसार पद/संवर्ग एवं आवश्यकता अनुसार इकाई आवंटित की जायेगी। म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार वेतन न्यूनतम प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टापपेड देय होगा। दिये गये समस्त संवर्गों के वेतन के अलावा समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी। म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.एफ-9/3/2003/नियम-4/दिनांक 13.4.2005 एवं क्र. एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 02.07.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।
- iv. जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।
- v. निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।
- vi. जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाईयों में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा।
- vii. जिला कार्यपालिक बल संवर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी।
- viii. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अंतर्गत राज्य के अंदर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों जैसे- राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ(EOW), विशेष पुलिस स्थापना(लोकायुक्त) अथवा अन्य किसी संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- ix. प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं

होगा. प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जायेगा।

(22) सामान्य निर्देश:-

- i. चयन सूची के जारी होने से पहले या बाद में किसी स्तर पर, यदि चयन एवं भर्ती शाखा, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश के संज्ञान में कोई कम्प्यूटर/लिपिकीय त्रुटि आती है, तो चयन एवं भर्ती शाखा को उसे सुधारने का अधिकार होगा.
- ii. विज्ञापित पदों की संख्या में पुलिस मुख्यालय द्वारा कमी या वृद्धि की जा सकती है। परिवर्तन की स्थिति में न तो अलग से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे और न ही अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये पहले से भरे हुए आवेदनों में संशोधन मांगा जावेगा.
- iii. यदि कोई आवेदक चयन सूची जारी होने से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है या यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी/चयन रद्द किया जा सकता है.
- iv. चयन परीक्षा का सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जावेगा। यह भर्ती समाप्त होने के तीन वर्ष बाद नष्ट कर दिया जावेगा। केवल वही सुरक्षित रखा जावेगा, जिसकी कोई जाँच चल रही हो अथवा प्रस्तावित हो।

पुलिस उप महानिरीक्षक(चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

आरक्षक (जीडी) उम्मीदवारों के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रदान किये जाने वाले अंक
शारीरिक दक्षता परीक्षण - अधिकतम 100 अंक
 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा.

तालिका-

a. पुरुष

अंक (पुरुष)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)	लम्बी कूद (मीटर)	गोला फेंक * (मीटर)
0	198.3 से अधिक	2.96 से कम	3.83 से कम
1	196.4 से अधिक और 198.3 तक	3.05 से कम और 2.96 तक	4 से कम और 3.83 तक
2	194.5 से अधिक और 196.4 तक	3.14 से कम और 3.05 तक	4.17 से कम और 4 तक
3	192.6 से अधिक और 194.5 तक	3.23 से कम और 3.14 तक	4.34 से कम और 4.17 तक
4	190.7 से अधिक और 192.6 तक	3.32 से कम और 3.23 तक	4.51 से कम और 4.34 तक
5	188.8 से अधिक और 190.7 तक	3.41 से कम और 3.32 तक	4.68 से कम और 4.51 तक
6	186.9 से अधिक और 188.8 तक	3.5 से कम और 3.41 तक	4.85 से कम और 4.68 तक
7	185 से अधिक और 186.9 तक	3.59 से कम और 3.5 तक	5.02 से कम और 4.85 तक
8	183.1 से अधिक और 185 तक	3.68 से कम और 3.59 तक	5.19 से कम और 5.02 तक
9	181.2 से अधिक और 183.1 तक	3.77 से कम और 3.68 तक	5.36 से कम और 5.19 तक
10	179.3 से अधिक और 181.2 तक	3.86 से कम और 3.77 तक	5.53 से कम और 5.36 तक
11	177.4 से अधिक और 179.3 तक	3.95 से कम और 3.86 तक	5.7 से कम और 5.53 तक
12	175.5 से अधिक और 177.4 तक	4.04 से कम और 3.95 तक	5.87 से कम और 5.7 तक
13	173.6 से अधिक और 175.5 तक	4.13 से कम और 4.04 तक	6.04 से कम और 5.87 तक
14	171.7 से अधिक और 173.6 तक	4.22 से कम और 4.13 तक	6.21 से कम और 6.04 तक
15	169.8 से अधिक और 171.7 तक	4.31 से कम और 4.22 तक	6.38 से कम और 6.21 तक

अंक (पुरुष)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)	लम्बी कूद (मीटर)	गोला फेंक * (मीटर)
16	167.9 से अधिक और 169.8 तक	4.4 से कम और 4.31 तक	6.55 से कम और 6.38 तक
17	166 से अधिक और 167.9 तक	4.49 से कम और 4.4 तक	6.72 से कम और 6.55 तक
18	164.1 से अधिक और 166 तक	4.58 से कम और 4.49 तक	6.89 से कम और 6.72 तक
19	162.2 से अधिक और 164.1 तक	4.67 से कम और 4.58 तक	7.06 से कम और 6.89 तक
20	160.3 से अधिक और 162.2 तक	4.76 से कम और 4.67 तक	7.23 से कम और 7.06 तक
21	158.4 से अधिक और 160.3 तक	4.85 से कम और 4.76 तक	7.4 से कम और 7.23 तक
22	156.5 से अधिक और 158.4 तक	4.94 से कम और 4.85 तक	7.57 से कम और 7.4 तक
23	154.6 से अधिक और 156.5 तक	5.03 से कम और 4.94 तक	7.74 से कम और 7.57 तक
24	152.7 से अधिक और 154.6 तक	5.12 से कम और 5.03 तक	7.91 से कम और 7.74 तक
25	150.8 से अधिक और 152.7 तक	5.21 से कम और 5.12 तक	8.08 से कम और 7.91 तक
26	148.9 से अधिक और 150.8 तक	5.3 से कम और 5.21 तक	8.25 से कम और 8.08 तक
27	147 से अधिक और 148.9 तक	5.39 से कम और 5.3 तक	8.42 से कम और 8.25 तक
28	145.1 से अधिक और 147 तक	5.48 से कम और 5.39 तक	8.59 से कम और 8.42 तक
29	143.2 से अधिक और 145.1 तक	5.57 से कम और 5.48 तक	8.76 से कम और 8.59 तक
30	141.3 से अधिक और 143.2 तक	5.57	8.76
31	139.4 से अधिक और 141.3 तक	5.57 मी. से अधिक : 30 कअधिकतम अं	8.76मी. से अधिक : 30 अधिकतम अंक
32	137.5 से अधिक और 139.4 तक		
33	135.6 से अधिक और 137.5 तक		
34	133.7 से अधिक और 135.6 तक		
35	131.8 से अधिक और 133.7 तक		
36	129.9 से अधिक और 131.8 तक		

अंक (पुरुष)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)	लम्बी कूद (मीटर)	गोला फेंक * (मीटर)
37	128 से अधिक और 129.9 तक		
38	126.1 से अधिक और 128 तक		
39	124.2 से अधिक और 126.1 तक		
40	126.1 से कम और 124.2 तक		
अधिकतम अंक 40	124.2 से कम		

* वजन कि.ग्रा. 7.26

b. महिला

अंक (महिला)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)	लम्बी कूद (मीटर)	गोला फेंक # (मीटर)
0	261.8 से अधिक	2.04 से कम	2.85 से कम
1	259.6 से अधिक और 261.8 तक	2.12 से कम और 2.04 तक	3 से कम और 2.85 तक
2	257.4 से अधिक और 259.6 तक	2.2 से कम और 2.12 तक	3.15 से कम और 3 तक
3	255.2 से अधिक और 257.4 तक	2.28 से कम और 2.2 तक	3.3 से कम और 3.15 तक
4	253 से अधिक और 255.2 तक	2.36 से कम और 2.28 तक	3.45 से कम और 3.3 तक
5	250.8 से अधिक और 253 तक	2.44 से कम और 2.36 तक	3.6 से कम और 3.45 तक
6	248.6 से अधिक और 250.8 तक	2.52 से कम और 2.44 तक	3.75 से कम और 3.6 तक
7	246.4 से अधिक और 248.6 तक	2.6 से कम और 2.52 तक	3.9 से कम और 3.75 तक

अंक (महिला)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)	लम्बी कूद (मीटर)	गोला फेंक # (मीटर)
	तक		
8	244.2 से अधिक और 246.4 तक	2.68 से कम और 2.6 तक	4.05 से कम और 3.9 तक
9	242 से अधिक और 244.2 तक	2.76 से कम और 2.68 तक	4.2 से कम और 4.05 तक
10	239.8 से अधिक और 242 तक	2.84 से कम और 2.76 तक	4.35 से कम और 4.2 तक
11	237.6 से अधिक और 239.8 तक	2.92 से कम और 2.84 तक	4.5 से कम और 4.35 तक
12	235.4 से अधिक और 237.6 तक	3 से कम और 2.92 तक	4.65 से कम और 4.5 तक
13	233.2 से अधिक और 235.4 तक	3.08 से कम और 3 तक	4.8 से कम और 4.65 तक
14	231 से अधिक और 233.2 तक	3.16 से कम और 3.08 तक	4.95 से कम और 4.8 तक
15	228.8 से अधिक और 231 तक	3.24 से कम और 3.16 तक	5.1 से कम और 4.95 तक
16	226.6 से अधिक और 228.8 तक	3.32 से कम और 3.24 तक	5.25 से कम और 5.1 तक
17	224.4 से अधिक और 226.6 तक	3.4 से कम और 3.32 तक	5.4 से कम और 5.25 तक
18	222.2 से अधिक और 224.4 तक	3.48 से कम और 3.4 तक	5.55 से कम और 5.4 तक
19	220 से अधिक और 222.2 तक	3.56 से कम और 3.48 तक	5.7 से कम और 5.55 तक

अंक (महिला)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)	लम्बी कूद (मीटर)	गोला फेंक # (मीटर)
20	217.8 से अधिक और 220 तक	3.64 से कम और 3.56 तक	5.85 से कम और 5.7 तक
21	215.6 से अधिक और 217.8 तक	3.72 से कम और 3.64 तक	6 से कम और 5.85 तक
22	213.4 से अधिक और 215.6 तक	3.8 से कम और 3.72 तक	6.15 से कम और 6 तक
23	211.2 से अधिक और 213.4 तक	3.88 से कम और 3.8 तक	6.3 से कम और 6.15 तक
24	209 से अधिक और 211.2 तक	3.96 से कम और 3.88 तक	6.45 से कम और 6.3 तक
25	206.8 से अधिक और 209 तक	4.04 से कम और 3.96 तक	6.6 से कम और 6.45 तक
26	204.6 से अधिक और 206.8 तक	4.12 से कम और 4.04 तक	6.75 से कम और 6.6 तक
27	202.4 से अधिक और 204.6 तक	4.2 से कम और 4.12 तक	6.9 से कम और 6.75 तक
28	200.2 से अधिक और 202.4 तक	4.28 से कम और 4.2 तक	7.05 से कम और 6.9 तक
29	198 से अधिक और 200.2 तक	4.36 से कम और 4.28 तक	7.2 से कम और 7.05 तक
30	195.8 से अधिक और 198 तक	4.36	7.2
31	193.6 से अधिक और 195.8 तक	4.36 मी. से अधिक :	7.20 मी. से अधिक :
32	191.4 से अधिक और 193.6 तक	30 अधिकतम अंक	30 अधिकतम अंक

अंक (महिला)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)	लम्बी कूद (मीटर)	गोला फेंक # (मीटर)
33	189.2 से अधिक और 191.4 तक		
34	187 से अधिक और 189.2 तक		
35	184.8 से अधिक और 187 तक		
36	182.6 से अधिक और 184.8 तक		
37	180.4 से अधिक और 182.6 तक		
38	178.2 से अधिक और 180.4 तक		
39	176 से अधिक और 178.2 तक		
40	178.2 से कम और 176 तक		
अधिकतम अंक 40	176 से कम		

वजन कि.ग्रा. 4.00

नोट:- 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किये जाएंगे।

**शुथल माडदण्डों के साथ हलडगार्ड/डूतडूरुव सैनलक : सडुी तलन वलधलओं डें
शारीरलक दकुषतल डरीकुषण डें डुरदलड कलडे कलने वलले अंकुओं की तलललकल-**

C. डुरुष

अंक (डुरुष)	800 डीतर दूड (सेकेणुड)	लडुडुी कुद (डीतर)	गुलल डेंक * (डीतर)
0	224.5 से अधलक	2.23 से कड	3.51 से कड
1	222.5 से अधलक और 224.5 तक	2.32 से कड और 2.23 तक	3.69 से कड और 3.51 तक
2	220.5 से अधलक और 222.5 तक	2.41 से कड और 2.32 तक	3.87 से कड और 3.69 तक
3	218.5 से अधलक और 220.5 तक	2.5 से कड और 2.41 तक	4.05 से कड और 3.87 तक
4	216.5 से अधलक और 218.5 तक	2.59 से कड और 2.5 तक	4.23 से कड और 4.05 तक
5	214.5 से अधलक और 216.5 तक	2.68 से कड और 2.59 तक	4.41 से कड और 4.23 तक
6	212.5 से अधलक और 214.5 तक	2.77 से कड और 2.68 तक	4.59 से कड और 4.41 तक
7	210.5 से अधलक और 212.5 तक	2.86 से कड और 2.77 तक	4.77 से कड और 4.59 तक
8	208.5 से अधलक और 210.5 तक	2.95 से कड और 2.86 तक	4.95 से कड और 4.77 तक
9	206.5 से अधलक और 208.5 तक	3.04 से कड और 2.95 तक	5.13 से कड और 4.95 तक
10	204.5 से अधलक और 206.5 तक	3.13 से कड और 3.04 तक	5.31 से कड और 5.13 तक
11	202.5 से अधलक और 204.5 तक	3.22 से कड और 3.13 तक	5.49 से कड और 5.31 तक

अंक (पुरुष)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)	लम्बी कूद (मीटर)	गोला फेंक * (मीटर)
	तक		
12	200.5 से अधिक और 202.5 तक	3.31 से कम और 3.22 तक	5.67 से कम और 5.49 तक
13	198.5 से अधिक और 200.5 तक	3.40से कम और 3.31 तक	5.85 से कम और 5.67 तक
14	196.5 से अधिक और 198.5 तक	3.49 से कम और 3.40तक	6.03 से कम और 5.85 तक
15	194.5 से अधिक और 196.5 तक	3.58 से कम और 3.49 तक	6.21 से कम और 6.03 तक
16	192.5 से अधिक और 194.5 तक	3.67 से कम और 3.58 तक	6.39 से कम और 6.21 तक
17	190.5 से अधिक और 192.5 तक	3.76 से कम और 3.67 तक	6.57 से कम और 6.39 तक
18	188.5 से अधिक और 190.5 तक	3.85 से कम और 3.76 तक	6.75 से कम और 6.57 तक
19	186.5 से अधिक और 188.5 तक	3.94 से कम और 3.85 तक	6.93 से कम और 6.75 तक
20	184.5 से अधिक और 186.5 तक	4.03 से कम और 3.94 तक	7.11 से कम और 6.93 तक
21	182.5 से अधिक और 184.5 तक	4.12 से कम और 4.03 तक	7.29 से कम और 7.11 तक
22	180.5 से अधिक और 182.5 तक	4.21 से कम और 4.12 तक	7.47 से कम और 7.29 तक
23	178.5 से अधिक और 180.5 तक	4.30से कम और 4.21 तक	7.65 से कम और 7.47 तक

अंक (पुरुष)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)	लम्बी कूद (मीटर)	गोला फेंक * (मीटर)
24	176.5 से अधिक और 178.5 तक	4.39 से कम और 4.30 तक	7.83 से कम और 7.65 तक
25	174.5 से अधिक और 176.5 तक	4.48 से कम और 4.39 तक	8.01 से कम और 7.83 तक
26	172.5 से अधिक और 174.5 तक	4.57 से कम और 4.48 तक	8.19 से कम और 8.01 तक
27	170.5 से अधिक और 172.5 तक	4.66 से कम और 4.57 तक	8.37 से कम और 8.19 तक
28	168.5 से अधिक और 170.5 तक	4.75 से कम और 4.66 तक	8.55 से कम और 8.37 तक
29	166.5 से अधिक और 168.5 तक	4.84 से कम और 4.75 तक	8.73 से कम और 8.55 तक
30	164.5 से अधिक और 166.5 तक	4.84	8.73
31	162.5 से अधिक और 164.5 तक	4.84 मी. से अधिक : 30 अंक अधिकतम	8.73 मी. से अधिक : 30 अंक अधिकतम
32	160.5 से अधिक और 162.5 तक		
33	158.5 से अधिक और 160.5 तक		
34	156.5 से अधिक और 158.5 तक		
35	154.5 से अधिक और 156.5 तक		
36	152.5 से अधिक और 154.5 तक		

अंक (पुरुष)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)	लम्बी कूद (मीटर)	गोला फेंक * (मीटर)
	तक		
37	150.5 से अधिक और 152.5 तक		
38	148.5 से अधिक और 150.5 तक		
39	146.5 से अधिक और 148.5 तक		
40	148.5 से कम और 146.5 तक		
अधिकतम अंक 40	146.5 से कम		

* वजन कि.ग्रा. 7.26

d. महिला

अंक (महिला)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)	लम्बी कूद (मीटर)	गोला फेंक # (मीटर)
0	305.8 से अधिक	1.50 से कम	2.70 से कम
1	तक 305.8 से अधिक और 303.6	1.58 से कम और 1.50 तक	2.85 से कम और 2.7 तक
2	301.4 से अधिक और 303.6 तक	1.66 से कम और 1.58 तक	3.00 से कम और 2.85 तक
3	299.2 से अधिक और 301.4 तक	1.74 से कम और 1.66 तक	3.15 से कम और 3.00 तक
4	297.0 से अधिक और 299.2 तक	1.82 से कम और 1.74 तक	3.30 से कम और 3.15 तक
5	294.8 से अधिक और 297.0 तक	1.90 से कम और 1.82 तक	3.45 से कम और 3.30 तक
6	292.6 से अधिक और 294.8 तक	1.98 से कम और 1.90 तक	3.60 से कम और 3.45 तक
7	290.4 से अधिक और 292.6 तक	2.06 से कम और 1.98 तक	3.75 से कम और 3.60 तक
8	288.2 से अधिक और 290.4 तक	2.14 से कम और 2.06 तक	3.90 से कम और 3.75 तक

अंक (महिला)	800 मीटर दौड़ (सेंकेण्ड)	लम्बी कूद (मीटर)	गोला फेंक # (मीटर)
9	286.0 से अधिक और 288.2 तक	2.22 से कम और 2.14 तक	4.05 से कम और 3.90 तक
10	283.8 से अधिक और 286.0 तक	2.30 से कम और 2.22 तक	4.20 से कम और 4.05 तक
11	281.6 से अधिक और 283.8 तक	2.38 से कम और 2.30 तक	4.35 से कम और 4.20 तक
12	279.4 से अधिक और 281.6 तक	2.46 से कम और 2.38 तक	4.50 से कम और 4.35 तक
13	277.2 से अधिक और 279.4 तक	2.54 से कम और 2.46 तक	4.65 से कम और 4.50 तक
14	275.0 से अधिक और 277.2 तक	2.62 से कम और 2.54 तक	4.80 से कम और 4.65 तक
15	272.8 से अधिक और 275.0 तक	2.70 से कम और 2.62 तक	4.95 से कम और 4.80 तक
16	270.6 से अधिक और 272.8 तक	2.78 से कम और 2.70 तक	5.10 से कम और 4.95 तक
17	268.4 से अधिक और 270.6 तक	2.86 से कम और 2.78 तक	5.25 से कम और 5.10 तक
18	266.2 से अधिक और 268.4 तक	2.94 से कम और 2.86 तक	5.4 से कम और 5.25 तक
19	264.0 से अधिक और 266.2 तक	3.02 से कम और 2.94 तक	5.55 से कम और 5.40 तक
20	261.8 से अधिक और 264.0 तक	3.10 से कम और 3.02 तक	5.70 से कम और 5.55 तक
21	259.6 से अधिक और 261.8 तक	3.18 से कम और 3.10 तक	5.85 से कम और 5.70 तक
22	257.4 से अधिक और 259.6 तक	3.26 से कम और 3.18 तक	6.00 से कम और 5.85 तक
23	255.2 से अधिक और 257.4 तक	3.34 से कम और 3.26 तक	6.15 से कम और 6.00 तक
24	253 से अधिक और 255.2 तक	3.42 से कम और 3.34 तक	6.30 से कम और 6.15 तक
25	250.8 से अधिक और 253 तक	3.50 से कम और 3.42 तक	6.45 से कम और 6.30 तक
26	248.6 से अधिक और 250.8 तक	3.58 से कम और 3.50 तक	6.60 से कम और 6.45 तक
27	246.4 से अधिक और 248.6 तक	3.66 से कम और 3.58 तक	6.75 से कम और 6.60 तक
28	244.2 से अधिक और 246.4 तक	3.74 से कम और 3.66 तक	6.90 से कम और 6.75 तक

अंक (महिला)	800 मीटर दौड़ (सेंकेण्ड)	लम्बी कूद (मीटर)	गोला फेंक # (मीटर)
29	242.0 से अधिक और 244.2 तक	3.82 से कम और 3.74 तक	7.05 से कम और 6.90 तक
30	239.8 से अधिक और 242.0 तक	3.82	7.05
31	237.6 से अधिक और 239.8 तक	3.82 मी. से अधिक : 30 अधिकतम अंक	7.05 मी. से अधिक : 30 अधिकतम अंक
32	235.4 से अधिक और 237.6 तक		
33	233.2 से अधिक और 235.4 तक		
34	231.0 से अधिक और 233.2 तक		
35	228.8 से अधिक और 231.0 तक		
36	226.6 से अधिक और 228.8 तक		
37	224.4 से अधिक और 226.6 तक		
38	222.2 से अधिक और 224.4 तक		
39	220.0 से अधिक और 222.2 तक		
40	222.2 से कम और 220.0 तक		
अधिकतम अंक 40	220.0 से कम		

वजन कि.ग्रा. 4.00